

::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

--: संशोधन-आदेश :-

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधानाध्यापक-मावि. के दो वर्ष की परीविक्षाकाल अवधि पूर्ण करने पर (कॉलम संख्या-02 में अंकित दिनांक को) जारी किये गये स्थाईकरण सम्बन्धी आदेशों में निम्नानुसार **आंशिक संशोधन** (कॉलम संख्या-04 में वर्णितानुसार) जारी किया जाता है :-

क्रसं	विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक	नाम प्रधानाध्यापक-मावि मय पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन का विवरण
1	25-04-17	श्री रमेश लाल, प्रधानाध्यापक रामावि० आरसना जिला सिरोही	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में कार्मिक की स्थायीकरण तिथि 17-09-13 के स्थान पर 17-09-2015 पढी जावे।
2	25-04-17	श्री महावीर प्रसाद वर्मा, प्रधानाध्यापक रामावि० कल्याणपुरा कलां जयपुर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में कार्मिक की स्थायीकरण तिथि 17-09-16 के स्थान पर 17-09-2015 पढी जावे।
3	25-04-17	श्री बाबूलाल विश्‍नोई, प्रधानाध्यापक रामावि० नया गांव अलाय जिला नागौर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में कार्मिक की स्थायीकरण तिथि 18-09-13 के स्थान पर 17-09-2015 पढी जावे।
4	13-12-16	श्रीमती पुष्पा सालवी, प्रधानाध्यापिका रामावि० निकोर उदयपुर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में कार्मिक की जन्म तिथि 04-12-70 के स्थान पर 12-04-1970 पढी जावे।
5	13-12-16	श्री कमलेश कुमार मीना, प्रधानाध्यापक रामावि० कोटापट्टी जिला दौसा	कार्मिक की जन्म-तिथि 07-03-1974 के स्थान पर, 03-07-1974 , कार्यग्रहण तिथि 07-03-14 के स्थान पर 03-07-2014 तथा स्थायीकरण तिथि 07-03-16 के स्थान पर 03-07-2016 पढी जावे।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/बी-1/पीएससी-13/स्थाईकरण संशोधन/2017/05 दिनांक : 27-04-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक प्र०अ० रामावि० को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर